भागवत कथा आयोजित

कोटा, (निसं)। श्री राधा माधव सेवा समिति, श्री राधा माधव मंदिर रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाड़ी के प्रांगण में मंगल परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तृतीय दिवस मंगलवार को छबड़ा से पधारे रमेश महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत वामन भगवान की झांकी के दर्शन कराए।

लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने नगर निगम कोटा में पट्टे वितरित किये

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा के प्रशासनिक भवन में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी द्वारा छावनी, कोटड़ी, गोर्धनपुरा, लखावा, रानपुर, खेड़ा, जगपुरा एवं बारां रोड स्थित नयागांव, क्षेत्र के पूर्व के रूके हुए एवं शहरी सेवा शिविर में आवेदित लोगों के लगभग 200 पट्टे वितरित किये।

पट्टे वितरण कार्यक्रम से पूर्व वन्दे मातरम्/150 एवं स्वदेशी संकल्प' थीम पर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया एवं राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नें नगर निगम कोटा के एकीकरण पश्चात प्रथम ट्रेड लाईसेंस अर्जुन दास को वितरित किया एवं उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुंचानें के लिए सभी से आव्हान किया ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।

लाड़पुरा विधायक द्वारा पट्टे वितरित किये गये हैं।

इस दौरान नगर निगम कोटा दक्षिण के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी, नगर निगम कोटा आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा, उपायुक्त जवाहर लाल जैन, उपायुक्त भावना सिंह, उपायुक्त सत्यनारायण राठौर एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

'क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए ब्लॉक वाइज सूची बनाएं'

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक में मीड-डे-मील, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने एसडीआरएफ के तहत जिले के 1033 विद्यालयों की मरम्मत के लिए आवंटित 20 करोड़ 66 लाख रुपये राशि का सदुपयोग करते हुए अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जिन स्कूल भवनों में अभी मरम्मत के बाद बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है उन्हें चिन्हित कर मरम्मत कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक वाईज स्कूलों की अपडेटेड सूची बनाई जाए जिसमें एसडीआरएफ के तहत मिली राशि से करवाए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख हो।

समारिया ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से शाला दर्पण में जिले की रैंकिंग, मीड-डे-मील योजना के तहत सामग्री आवंटन, दुग्ध वितरण, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन कार्यक्रम में अधिकाधिक विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जिले की रैंकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 44 ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास स्वयं की भूमि अथवा भवन नहीं है और वे किराए के भवन, मंदिर परिसर, समुदायिक भवनों अथवा ग्राम पंचायतों के भवन में संचालित हैं। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव एवं विद्यार्थी उपस्थिति एप की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी बीएलओ एसआईआर-2026 के तहत अधिक से अधिक मैपिंग का कार्य पूरा करें। कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गणना प्रपत्र के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया में बीएलओ की तकनीकी मदद करने के निर्देश सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को दिए।

पश्चिम मध्य रेल

सिगनल एवं दूर संचार विभाग
कोटा/एसएडटी/सिग./2025/25-BD
दिनांकः-08.11.2025 निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मं.संएवं दू.संइंजी. (सिगनल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्यों **Tender No. KOTA/SNT/SIG/2025/25-BD** के लिये निर्धारित ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय टेबल में दर्शाया गया है। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है। और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। **टेंडर सं**-कोटा/ एमएण्डटी/सिंग./2025/25-BD, **कार्य का नाम**- शामगढ़-प्रोविजन ऑफ 01 लोडिंग लाईन+बारां-प्रोविजन ऑफ 01 एडशिनल लोडिंग लाईन, शिपिटंग ऑफ एक्सस्टिंग गुडस् लाईन अबाउट 400 मीटर एण्ड डबल लाईन। **कार्य की अनुमानित लागत**- रू1,34,43,183.52, **बयाना राशि**- रू21,7200.00, **समय एवं तिथि**- 05.12.2025, 15:00 बजे तक, पूर्ण विवरण वेबसाईड "http://www.ireps.gov.in." पर अपलोड की गई है। निविदा/ बोलीदाताओं के पास कक्षा III डिजीटल हस्ताक्षर प्रामाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/ बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहियें। पंजीकृत निविदा एण्ड GSTIN पर रजिस्टर होना चाहिये।

हस्ता.
कृते वरि.मं.सं. एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय)
पश्चिम मध्य रेल, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

'यूरिया एवं डीएपी खाद की किल्लत के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना घोर निंदनीय'

- 'किसानों को महंगे दामों पर यूरिया ब्लैक करने वाला बताना बेहद शर्मनाक है'
- किसान एक बैग खाद के लिए लाठीयां खा रहे हैं फिर भी खाद नहीं मिल रही, ऐसे मे किसान यूरिया कैसे ब्लैक करेगा?

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने कहा कि राजस्थान सरकार मे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा किसानों को महंगे दामों पर यूरिया ब्लैक करने वाला बताना बेहद शर्मनाक है। दुबे ने कृषि मंत्री द्वारा किसानों को 'बेईमान' बताने की घोर निंदा करते हुए कृषि मंत्री के किसान विरोधी बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

मनोज दुबे ने कहा कि कृषि मंत्री द्वारा यूरिया एवं डीएपी खाद की किल्लत के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना घोर निंदनीय है। मनोज दुबे ने कहा की कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना कि किसान यूरिया ब्लैक करता है" न सिर्फ किसानों का अपमान, बल्कि भाजपा सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने की भद्दी कोशिश है। भाजपा सरकार के कृषि मंत्री दिन-रात खेतों में पसीना बहाने वाले अन्नदाता को अप्रत्यक्ष रूप से खाद ओर यूरिया ब्लैक करने वाला माफिया बता रहे हैं, जों बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

मनोज दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार स्वयं किसानों को पर्याप्त यूरिया और खाद-बीज देने में पूर्ण रूप से विफल रही है, फिर भी राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री द्वारा दोष किसानों पर मढ़ा जा रहा है ये बेहद दुःखद है। हकीकत ये है कि भाजपा सरकार न फसल का उचित मूल्य दे पा रही हैं, न अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा और न ही बिजली-पानी।

भाजपा के राज में किसानों को बदहाली के साथ कभी लाठियां मिलती है, तो कभी मंत्रियों की गालियां। मनोज दुबे ने कहा की किसान चोरी नहीं करता, देश का पेट पालता है।

चोरी तो सरकार में बैठे भाजपा के नेता करते हैं, जो दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाकार पहले सत्ता कब्जाते हैं, और फिर किसानों का हक मारते हैं। ओर किसानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर किसानों को अपमानित करते हैं। कृषि मंत्री को शर्म आना चाहिए किसान को घंटों लाइनों मे लगने के बाद भी पर्याप्त मात्रा मे खाद नहीं मिल रही है। खाद की भारी किल्लत है। किसान एक बैग खाद के लिए लाठीयां खा रहे हैं फिर भी खाद नहीं मिल रही, ऐसे मे किसान यूरिया कैसे ब्लैक करेगा?

एम.आई.टी. की फ्रेशर्स पार्टी

कोटा, (निसं)। नयागांव स्थित मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोटा में सत्र 2025-26 में आए सभी प्रथम वर्ष (बी.टेक., बी.सी.ए., बी.बी.ए.) के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर्स पार्टी "उद्भव'25 का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम पारंपरिक रूप से सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ। मोदी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन सुशील मोदी, ग्रुप डायरेक्टर राघव मोदी एवं एम.आई.टी. के प्राचार्य डॉ.विकास सोनी ने दीप प्रज्ज्वलित करते हुए सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने सोलो डांस, ग्रुप डांस, ग्रुप सोंग, सोलो सोंग और फैशन शो जैसे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ग्रुप डायरेक्टर राघव मोदी ने बताया कि विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन संस्थान द्वारा आयोजित किए जाए है इससे नए छात्रों के उत्साह और कॉलेज के कार्यशैली एवं विभिन्न गतिविधियों के बारे मे जानकारी होती है। संस्था के चेयरमैन सुशील मोदी ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए निर्णायक मंडल ने इस साल के मिस्टर फ्रेशर अभिषेक चौधरी और मिस फ्रेशर यशफीन एवं मिस्टर अटायर लोकेंद्र और मिस अटायर वंशिका को चुना। डॉ. विकास सोनी ने सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया एवं छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व बताया। कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र यादवेंद्र तथा सह-संयोजक डॉ.बरखा गुप्ता एवं सीमा आर्या रहे। स्टूडेंट संयोजक रूद्र, प्रतीक, तुषार, शेफाली और फ्रेमसेटर्स क्लब रहे।

कोटा में एमआईटी में फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गयी है।

गांजा तस्करी की दोषी महिला को 5 वर्ष का कारावास

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के करीब साढ़े पांच साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने सुनवाई करते हुए गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ी गई महिला आरोपी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि कुन्हाड़ी पुलिस ने शहर में नाकाबंदी के दौरान 13 मार्च 2020 को एक बाइक को डिटेन किया। जिसमें चालक के पीछे एक महिला प्लास्टिक का काले रंग का एक कट्टा लेकर बैठी हुई थी। जिनसे पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रामचरत निवासी मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बूंदी का होना बताया और पीछे बैठी महिला ने अपना नाम ममता पत्नी रामचरत बताया। पुलिस टीम ने संदेह होने पर तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 11 किलो गांजा और बिक्री की रकम कुल 60 हजार रूपये बरामद किये। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा को जप्त किया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की, पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी रामचरत और ममता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तथा वाहन मालिक मोहनलाल के विरुद्ध 8/25 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में 9 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये और कुल 44 दस्तावेज पेश किये गये। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी महिला ममता को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि अभियुक्त रामचरत फरार है जिसका स्थाई वारंट जारी है और वाहन मालिक सहअभियुक्त मोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है।

अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में राजस्थान दल ने 'हाड़ौती संस्कृति' का रंग दिखाया

कलाकारों को सम्मानित किया गया।

बूंदी (निसं)। कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सोशल डेवलपमेंट फोरम व माय भारत के तत्वावधान में असम के गोलाघाट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समावेशी युवा सम्मेलन में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व बूंदी जिले के शिखर पंचोली एवं विवेक गुर्जर ने किया। इस सम्मेलन में भारत के 18 राज्यों सहित लगभग 15 देशों के युवा प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी प्रतिभागियों को असम के प्रसिद्ध चाय बागानों का भ्रमण कराया गया, जहाँ स्थानीय कलाकारों ने असम की लोक संस्कृति का प्रतीक बीहू नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं अफ्रीका सहित विभिन्न देशों से आए चित्रकारों ने अपने-अपने क्षेत्र की प्राकृतिक छटा, लोकजीवन एवं चाय बागानों को अपनी चित्रकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसके पश्चात विभिन्न विषयों पर युवा सत्र आयोजित हुए, जिनमें कला, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई।

शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान दल के प्रतिनिधि शिखर पंचोली एवं विवेक गुर्जर ने राजस्थानी लोकगीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। शिखर ने खडताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं दोनों ने गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब की मिश्रित सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत कर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को साकार किया।

सम्मेलन के दौरान सभी प्रतिनिधियों को काजीरंगा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व का भ्रमण भी कराया गया, जहाँ उन्होंने दुर्लभ वन्यजीव जैसे गैंडा, हाथी एवं बाघ को निकट से देखा। अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों ने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन कर मातृशक्ति के प्रति आस्था प्रकट की।

बूंदी के युवा प्रतिनिधि विवेक गुर्जर एवं शिखर पंचोली ने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान की हाडौती की कला, लोकनृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ तथा असम के लोकजीवन, खानपान और पर्यटन स्थलों से परिचय प्राप्त हुआ।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पक्षकार श्री सुरेश चंद जैन पुत्र श्री फूलचंद जैन आयु 62 वर्ष जाति जैन (महाजन) निवासी म.न. 71 आदर्श नगर, मेन बूंदी रोड, कुन्हाड़ी, कोटा राज. से श्री धनराज जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन आयु 63 वर्ष जाति जैन (महाजन) निवासी प्लाट न. 6 आदित्य मार्ग गुलाब बाड़ी कोटा राज. द्वारा दिनांक 13.07.2010 को 8,00,000/-रुपये अक्षरे आठ लाख रुपये उधार नकद प्राप्त कर एक इकरारनामा (गिरवीनामा) दिनांक 13.07.2010 आलेखित किया और उक्त उधार ली गई राशि 8,00,000/- रुपये अक्षरे आठ लाख रुपये चुकाने की एवज में उसके द्वारा अपने मालिकाना स्वामित्व के भूखंड वाके मेन बूंदी रोड, कोटा में स्थित परिसर पैमाइशी 30x30 की छत व 8x30 वर्गफुट की गेलेरी को रहन रख दिया था। इकरार के अनुसार उक्त राशि को मय ब्याज के चुकाने की दो वर्ष की अवधि जुलाई 2012 को समाप्त हो चुकी है और अब मेरा पक्षकार इकरार की शर्तों के अनुसार अपनी राशि की वसूली के लिए उपरोक्त रहन रखी गई छत और गेलेरी को विक्रय करके अपनी राशि को वसूल करने का अधिकारी हो गया है और श्री धनराज जैन द्वारा इकरार में इस परिसर को विक्रय करने हेतु अधिकार दिए जाने का दस्तावेज मेरे पक्षकार के पक्ष में आलेखित किया हुआ है। उपरोक्त राशि की मेरे पक्षकार को सख्त आवश्यकता है और मेरे पक्षकार द्वारा श्री धनराज जैन को इस राशि की अदायगी हेतु दिए गए अंतिम नोटिस की मियाद भी समाप्त हो चुकी है। इसलिए मेरा पक्षकार उपरोक्त राशि की वसूली के लिए श्री धनराज जैन द्वारा रहन रखी गयी छत और गेलेरी को विक्रय करने को स्वतंत्र है। यदि उपरोक्त संव्यवहार या विक्रय से किसी व्यक्ति, रिश्तेदार, संस्था या उनके किसी प्रतिनिधि को आपत्ति हो या उपरोक्त परिसर पर कोई दावा उद्ग या ऐतराज हो तो वो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 7 दिवस की अवधि में दस्तावेज सहित अपना पक्ष, दावा, आपत्ति, प्रस्तुत करें, बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

कोटा
दिनांक: 12.11.25

भवदीय
राकेश मामनानी एडवोकेट
मो. 7737177000

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2025/1486 दिनांकः-11.11.2025

नाम हस्तान्तरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-776 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-845 दिनांक 29.12.2000 द्वारा मैसर्स शेखर ऑटोमोबाईल प्रो. श्री भगवान दास गाँधी पुत्र श्री प्यारे लाल गाँधी को आवंटित किया गया था। श्री भगवान दास गाँधी के द्वारा श्री मो. उस्मान पुत्र श्री मो. अहमद को उक्त भूखंड की कार्यवाही के संबंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। श्री मो. उस्मान पुत्र श्री मो. अहमद के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखंड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2022 को श्री विजय कृपलानी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश के द्वारा अपने नाम उक्त भूखंड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या-776 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर योजना का नाम हस्तांतरण श्री विजय कृपलानी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-640 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-7.11.25

कोटा विकास प्राधिकरण की विवेकानन्द नगर आवासीय के भूखण्ड/आवास संख्या 789 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 13.03.2001 को श्री शिवनारायण शर्मा पुत्र श्री केसरीलाल शर्मा को किया गया था। आवंटी श्री शिवनारायण शर्मा की मृत्यु दिनांक 01.02.2022 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, रिलीज डीड, इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिक्स के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 789 योजना विवेकानन्द नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री आनन्द कुमार गौतम पुत्र स्व. श्री शिवनारायण शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1384 **विज्ञप्ति** दिनांकः-11.11.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या सी-5 योजना सुखधाम एनक्लेव ग्राम रानपुरा खसरा नम्बर 656 का पट्टा जारी करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्रीमती संजना मीणा पत्नि श्री श्याम बिहारी मीणा निवासी सी-6 सुखधाम एनक्लेव बारां रोड कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये है कि खातेदार राधा किशन पुत्र श्री भंवर लाल द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 23.02.1997 को श्रीमती जमना बाई पत्नि श्री रतन लाल मीणा के पक्ष में किया गया। पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार क्रेता जमना बाई की मृत्यु दिनांक 08.12.2010 को हो चुकी है। जमना बाई द्वारा अपने जीवन काल में नोटेरी शुद्धा वसीयतनामा (दिनांक 14.11.2008) से लोकेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामदयाल मीना के पक्ष में किया गया। लोकेन्द्र कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये इकरारनामा दिनांक 11.12.2024 को संजना मीणा पत्नि श्री श्याम बिहारी मीणा के पक्ष में किया गया है।

अतः उक्त पत्रावली में संलग्न वसीयतनामा एवं इकरारनामो के आधार पर श्रीमती संजना मीणा पत्नि श्री श्याम बिहारी मीणा के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1331 **विज्ञप्ति** दिनांकः-10.11.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना अंजली विस्तार भूखण्ड संख्या 54 खसरा नं. 208 आवेदक/आवेदिका श्री सियाराम नागर एवं लोकेश कुमार नागर पुत्रान् रमेश चन्द्र नागर निवासी अस्पताल का मोहल्ला, कमोलर, तहसील सांगोद जिला कोटा राज.द्वारा पट्टे हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 24.03.2011 को श्रवण पुत्र श्री बिरधी लाल को किया गया। क्रेता श्रवण द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 01.08.2011 को श्री प्रकाश पुत्र श्री कालू लाल के पक्ष में किया गया। क्रेता प्रकाश की मृत्यु संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 19.02.2021 एवं पत्नि प्रेम बाई को हो चुकी है। संलग्न वारिसान प्रमाण पत्र अनुसार मृतक के विधिक वारिसान दीपक कुमार पुत्र, सुनीता पुत्री, गोरी पुत्री, नर्गिस पुत्री है। वारिसान दीपक कुमार, सुनीता, गोरी, नर्गिस द्वारा संलग्न जर्ये इकरारनामा/मुख्तारआम दिनांक 08.01.2024 से आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री सियाराम नागर एवं लोकेश कुमार नागर पुत्रान् रमेश चन्द्र नागर के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांकः-नपबा/रुपा./2025/7110-11 **लोक सूचना** दिनांकः-10.11.25

श्री प्रभुलाल शाक्यवाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति कोली निवासी बारां तह. व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील व जिला बारां	आमापुरा	454,455,456	0.17 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.....को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांकः-नपबा/रुपा./2025/7108-09 **लोक सूचना** दिनांकः-10.11.25

श्री मुकेश पंकज पुत्र श्री सत्यनारायण जाति धोबी निवासी रंगपुर रोड नया भदाना कोटा जिला कोटा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील व जिला बारां	मेलखेड़ी	1598/1589	0.0925 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.....को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांकः-नपबा/रुपा./2025/7076 **लोक सूचना** दिनांकः-10.11.25

श्री राकेश पंकज पुत्र श्री सत्यनारायण जाति धोबी निवासी रंगपुर रोड नया भदाना कोटा जिला कोटा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील व जिला बारां	मेलखेड़ी	1599/1589	0.0925 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.....को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां